राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :– 04/भर्ती/स.आ.–ई.एन.टी/2016–17 **दिनांक : 28.07.2016**

आयोग द्वारा **चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department)** के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम 1962 के अन्तर्गत **सहायक आचार्य – ऑटो–राइनो–लेरिंगोलोजी (Assistant Professor- Oto-Rhino-Laryngology)** के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :– (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				S.B.C.				P.H. (Horizontal)		
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP (One leg lower limb)
03	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

नोट :– उक्त पद अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है जो उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरे जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यताएं :

M.S. (Oto-Rhino-Laryngology)

(i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject.

(ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.

Note: उपरोक्त अंकित योग्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित योग्यता भी मान्य होगीः–

1. The Diplomat National Board (DNB) qualification shall be treated as equivalent to M.D/M.S, D.M and M.Ch. qualifications of the respective speciality or Superspeciality, as the case may be, for all purposes including appointment to the teaching post in the medical institution.
2. The teaching experience gained while pursuing DNB Courses shall be treated as teaching experience for appointment to the teaching post in the medical institutions.
3. For the candidates possessing DNB Qualifications from centers other than of MCI recognized medical colleges/central institute:-
   "Three years teaching experience in the subject either during the DNB course or after possessing DNB Qualification. The concerned candidate would require two years additional teaching experience as Sr. Resident / Research Associate (CSIR) in a MCI recognized medical college/central institute."

पदों की योग्यता के संबंध में आवश्यक नोट :–

आवेदकों को संबंधित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएं अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। **अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।**

रनिंग पे–बैण्ड	**रनिंग पे–बैण्ड–3 (15600–39100) ग्रेड पे रू. 6600/–**
आयु सीमा	**दिनांक 01.01.2017 को अधिकतम 37 वर्ष से कम, सिवाय डी.एम./एम.सीएच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।**

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य वर्ग की महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है :– "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	इस सेवा के किसी पद पर **अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
2	**एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों** के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
3	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों** के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4	**निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों** और **लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों** को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे।
5	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिए न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सीएच. अपेक्षित है, के पदों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) शासन से प्राप्त वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(3) सहायक आचार्य – ऑटो–राइनो–लेरेंगोलोजी के पद आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना दिनांक 01.01.2015 को की गई थी। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.01.2017** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरणः**– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे। **नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा **अजमेर** में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 01.08.2016 से दिनांक 20.08.2016** रात्रि **12–00** बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों एवं ई–मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 18.08.2016 होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 20.08.2016 होगी।** **2. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेबसाईट से ई–ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगी।** **3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सीधे ही ई–ग्रास की वेबसाईट पर नहीं जावें।** **4. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक 21.08.2016 से दिनांक 05.09.2016** रात्रि **12–00** बजे तक।

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 15 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में Offline संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़)
उप सचिव

विज्ञापन संख्या :– 04/भर्ती/स.आ.–ई.एन.टी/2016–17/98 **दिनांक : 28.07.2016**

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या :– **04/भर्ती/स.आ.–ई.एन.टी/2016–17** राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

अनुभाग अधिकारी